प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(युगल पीठ)

समक्ष: माननीय श्री वि. के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश, और
माननीय श्री एस. के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 06/1992

बलदाऊ सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ता०/–
वी०के० श्रीवास्तव
न्यायाधीश
1/12/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री एस. के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश
मैं सहमत हूँ

हस्ता०/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

23/12/2005 के लिए नियत

हस्ता०/–
वी०के० श्रीवास्तव
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 06/1992

(युगल पीठ)

समक्ष:	**माननीय श्री वी. के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश, और माननीय श्री एस. के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**	
अपीलार्थी	:	**बलदुआ (बलदाऊ) सिंह आत्मज लक्ष्मी सिंह चौहान, आयु 18 वर्ष, निवासी लालखदान, पुलिस थाना: तोरवा, तहसील एवं जिला बिलासपुर**
	बनाम	
उत्तरवादी	:	**छत्तीसगढ़ शासन**

उपस्थित:

श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।
श्री अखिल मिश्रा, शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय
(दिनांक 23/12/2005 को प्रदत्त)

विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश द्वारा

इस अपील को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 26/09/1991 को सत्र प्रकरण क्रमांक 172/1991 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का अपराध करने के लिए दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

2) निर्विवाद रूप से, चंद्रिका बाई — एक विधवा, जिनके पति की मृत्यु 3–4 वर्ष पूर्व हो चुकी है अपीलकर्ता की माता हैं। अपीलकर्ता, उसकी माता चंद्रिका बाई, अपीलकर्ता का छोटा भाई एवं छोटी बहन, सभी ग्राम लालखदान स्थित एक ही घर में संयुक्त रूप से रह रहे थे। मृतक भगेला, मीलापा बाई का ममेरा भाई था। भगेला, मीलापा बाई के साथ रहता था और दोनों एक स्पिनिंग मिल में कार्यरत थे। दिनांक 19–20/11/1990 की मध्य रात्रि में मृतक भगेला अपीलकर्ता के घर में

सोया हुआ था। मीलापा बाई, प्रातः काल भगेला को जगाने अपीलकर्ता के घर आई। जब वह कमरे में दाखिल हुई, तो उसने देखा कि भगेला खाट पर घायल अवस्था में खून से सना हुआ मृत पड़ा है। वह चिल्लाई और उसकी आवाज़ सुनकर देवचरण साहू वहाँ पहुँचे, जिन्होंने भी भगेला का शव अपीलकर्ता के घर के अंदर खाट पर पड़ा हुआ देखा, जिसकी गर्दन पर चोट थी। देव चरण पुलिस थाना गए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई।

3) अभियोजन की संक्षिप्त कहानी यह है कि विधवा चंद्रिका बाई के मृतक के साथ अवैध संबंध थे, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हुई और उसका गर्भ लगभग 13 सप्ताह का था। इसलिए अपीलकर्ता, जो चंद्रिका बाई का पुत्र है, ने दिनांक 19–20/11/1990 की मध्य रात्रि में, जब चंद्रिका बाई गाँव में नहीं थीं, मृतक को अपने घर पर सोने हेतु बुलाया। अतः मृतक अपीलकर्ता के साथ उसके घर गया और वहाँ रातभर रुका। मीलापा बाई और मृतक दोनों स्पिनिंग मिल में काम करते थे। मीलापा बाई नि:संतान थी, अतः उसने भगेला को अपने पास रखा और उसका पालन–पोषण किया। प्रातः वह भगेला को जगाने आई ताकि वे लोग काम पर जा सके। उसने अपीलकर्ता को बुलाकर भगेला को जगाने के लिए कहा। अपीलकर्ता ने बताया कि भगेला दूसरे कमरे में सो रहा है। जब उसने वह कमरा खोला, तो वहाँ भगेला का शव खाट पर खून से लथपथ, गर्दन पर चोट के साथ पड़ा हुआ था, और खून खाट के नीचे बह रहा था। मीलापा बाई द्वारा जानकारी देने पर देवचरण वहाँ पहुँचे, परिदृश्य देखा और तत्पश्चात् पुलिस थाना जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें अपीलकर्ता पर अपराध के सूत्रधार के रूप में संदेह व्यक्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) जे.एस. बड़ोरिया, थाना प्रभारी ने अपराध की विवेचना की, जिन्होंने घटनास्थल पहुँच कर मृतक भगेला के शव का पंचनामा तैयार किया, जो अपीलकर्ता के घर के भीतर पाया गया, तथा शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा। डॉक्टर अभिजीत सेन ने शव परीक्षण किया और यह राय दी कि मृत्यु का कारण मस्तिष्क को गंभीर चोटें और गर्दन की रक्तवाहिनियों के कटने से अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ शॉक था। विवेचना के दौरान, अपीलकर्ता के मेमोरेंडम कथन पर एक चाकू तालाब से और एक कुल्हाड़ी कुएँ से बरामद की गई। चिकित्सा अधिकारी ने परीक्षण के उपरांत यह राय दी कि मृतक के सिर की चोट कुल्हाड़ी से और गर्दन की चोट चाकू से कारित हो सकती थी।

गवाहों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। घटनास्थल से खून लगी मिट्टी और सादी मिट्टी जब्त की गई। अपीलकर्ता द्वारा पहने गए कपड़े — एक बनियान और हाफ पैंट — भी जब्त किए गए। अपीलकर्ता की माता चंद्रिका बाई के अवैध संबंध और गर्भावस्था से संबंधित सोनोग्राफी रिपोर्ट भी संकलित की गई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया।

5) अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसे उसके समक्ष पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उसने निर्दोष होने का अभिवाक किया। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि वह निर्दोष है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित परीक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि चंद्रिका बाई का मृतक भगेला के साथ अवैध संबंध था और उसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हुई थी। स्वयं को अपमान से बचाने हेतु चंद्रिका बाई ने गांव छोड़कर अपने मायके में रहना शुरू कर दिया। 19/11/1990 को अपीलकर्ता ने कहा कि उसका छोटा भाई भयभीत है, इस कारण उसने मृतक को अपने घर सोने के लिए बुलाया और उसे अपने साथ ले आया। रात में मृतक अपीलकर्ता के घर सोया। प्रातः जब मीलापा बाई अपीलकर्ता के घर भगेला को जगाने आई, तो पहले अपीलकर्ता ने कहा कि भगेला वहाँ नहीं है और शीघ्र ही अपनी बात बदलकर कहा कि वह दूसरे कमरे में है, और वहाँ मृतक भगेला का शव खाट पर पड़ा हुआ मिला। अपीलकर्ता की निशानदेही पर कुल्हाड़ी (वस्तु 'ए') और चाकू (वस्तु 'बी') बरामद व जप्त किए गए। चिकित्सा अधिकारी ने यह राय दी कि मृतक भगेला के शव पर पाई गई चोटें जब्त की गई वस्तुएँ 'ए' और 'बी' से कारित हो सकती थीं। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने समस्त परिस्थितियों पर विचार कर अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत भगेला की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया।

7) डॉक्टर अभिजीत सेन (अ°सा°/9) ने अपने साक्ष्य में कहा कि 20/11/1990 को उन्होंने भगेला के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित बाह्य चोटें पाईं:

> "1. एक कटा हुआ घाव 2 x ½ इंच बाईं टेम्पोरो–पैरिएटल क्षेत्र में, कान के ऊपरी सिरे के स्तर पर, क्षैतिज दिशा में, साफ किनारों के साथ; हड्डी उजागर थी और वह भी कटी हुई थी; घाव के चारों ओर खोपड़ी में बड़ा रक्त थक्का उपस्थित था।
>
> 2. गर्दन पर एक कटा हुआ घाव, जो बाएं स्टर्नो मास्टॉइड मांसपेशी के ठीक पीछे से प्रारंभ होकर थायरॉयड कार्टिलेज के दाहिनी ओर एक इंच तक फैला हुआ था, जिसका आकार 8 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा था। बाईं कैरोटिड धमनी, बाईं जुगुलर शिरा, बाईं स्टर्नो मास्टॉइड मांसपेशी, गर्दन की पट्टीदार मांसपेशियाँ तथा थायरॉयड कार्टिलेज सभी कटे हुए थे जिससे कशेरुकाएँ उजागर हो गई थीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने आगे कहा कि आंतरिक परीक्षण में उन्होंने निम्नलिखित बातें पाईं:

> "एक पैठ करने वाला घाव, जो बाईं टेम्पोरो–पैरिएटल क्षेत्र की हड्डी को काटता हुआ था, आकार 2 x ¼ इंच, जिसमें खोपड़ी की बाईं ओर की हड्डियों में एक रेखीय फ्रैक्चर था, जो उपर्युक्त अस्थि–घाव के पिछले सिरे से शुरू होकर पीछे की ओर ऑक्सिपिटल हड्डी के मध्य तक फैला हुआ था।
>
> घाव वाले क्षेत्र में मस्तिष्क की झिल्लियाँ (मेनिंजीज़) कटी हुई थीं। घाव के ठीक नीचे मस्तिष्क फटा हुआ था और मस्तिष्क तथा झिल्लियों में बड़े रक्त थक्के पाए गए थे।"

उन्होंने आगे कहा कि उनके मतानुसार मृत्यु का कारण मस्तिष्क में गंभीर चोटों और गर्दन की रक्तवाहिनियों के कट जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न हुआ शॉक था। मृतक भगेला के शव पर पाई गई उपर्युक्त दोनों चोटें मृत्यु से पूर्व की थीं। उनकी रिपोर्ट प्र.क्र. प्रदर्श –पी–11/ए है। उनके कथन को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई और कोई अन्य सामग्री उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय सिद्ध करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अतः उनके साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि मृतक भगेला की मृत्यु सिर और गर्दन पर आई चोटों के कारण हुआ मानव–वध थी।

8) सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में विधि का प्रतिपादन किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **म०प्र० शासन बनाम संजय राय (2004) 10 एस.सी.सी. 570** में निर्णय देते हुए, **हुकम सिंह बनाम राजस्थान शासन (1977) 2 एस.सी.सी. 99, एराडू बनाम हैदराबाद शासन (AIR 1956 SC 316), एराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक शासन (1983) 2 एस.सी.सी. 330, उत्तर प्रदेश शासन बनाम सुखबासी (AIR 1985 SC 1224), बलविंदर सिंह बनाम पंजाब शासन (AIR 1987 SC 350), अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्यप्रदेश शासन (AIR 1989 SC 1890), भगतराम बनाम पंजाब शासन (AIR 1954 SC 621), सी. चेन्गा रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश शासन (1996) 10 एस.सी.सी. 193), पदला वीरा रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश शासन (AIR 1990 SC 79), उत्तर प्रदेश शासन बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव (1992) 2 एस.सी.सी. 86), हनुमंत गोविंद नारगुंदकर बनाम मध्यप्रदेश शासन (AIR 1952 SC 343), शरद बिर्चंद्र सारदा बनाम महाराष्ट्र शासन AIR 1984 SC 1622,** प्रकाशित निर्णयों का अवलंब लेकर यह प्रतिपादित किया कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, परंतु वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक मानकों पर खरा उतरना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित स्थापित विधि यह है कि समस्त परिस्थितियाँ ठोस और दृढ़तापूर्वक स्थापित की जानी चाहिएं और जब वे सभी परस्पर जुड़कर ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाएं कि जिससे यह निष्कर्ष निकले कि समस्त मानव संभाव्यता के भीतर अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया और कोई अन्य उपधारणा शेष न रहे, तो ऐसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त होती है। ऐसी साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता से सुसंगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता से असंगत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) उपरोक्त प्रकरण में दोषसिद्धि निम्नलिखित परिस्थितियों पर आधारित रही: अपीलकर्ता के पास मृतक को मारने का हेतुक था; मृतक को अंतिम बार जीवित अवस्था में अपीलकर्ता के साथ देखा गया, जिसने मृतक को उसके घर से अपने घर ले जाकर वहाँ ठहराया; और अपीलकर्ता के घर के भीतर मृतक का शव, जिसके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें थीं, पाया गया। जिन हथियारों से मृतक को चोटें पहुंचाई गईं, वे अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथन के आधार पर बरामद किए गए।

10) यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता की माता चंद्रिका बाई एक विधवा थीं, जिनके पति की मृत्यु घटना की तिथि से तीन–चार वर्ष पूर्व हुई थी। मीलापा बाई ने अपने कथन में कहा कि जब चंद्रिका बाई ने बलदाऊ सिंह के पिता से विवाह कर गाँव में निवास प्रारंभ किया, तभी से उनके मृतक से प्रेम संबंध थे। देवचरण साहू (अ°सा°–3) ने कहा कि पिछले सात–आठ वर्षों से मृतक के अपीलकर्ता की माँ से अवैध संबंध थे और अपीलकर्ता भी इस संबंध से अवगत था।

11) डॉक्टर गुरमुख मेघानी (अ°सा°–7) ने अपने द्वारा जारी की गई रिपोर्ट (प्र.क्र. पी/2) को प्रमाणित किया और कहा कि उन्होंने श्रीमती चंद्रिका बाई की पेल्विक सोनोग्राफी की, जिसके परीक्षण उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह लगभग 13 सप्ताह की सामान्य एकल गर्भावस्था में थीं। यह रिपोर्ट प्रदर्श पी/2 दिनांक 16/11/1990 को जारी की गई थी। इस साक्ष्य को न तो चुनौती दी गई और न ही खंडन किया गया, अतः यह सिद्ध हुआ कि मृतक के चंद्रिका बाई से अवैध संबंध थे जो कि अपीलार्थी की माँ है और उसके परिणामस्वरूप विधवा चंद्रिका बाई 13 सप्ताह की गर्भवती थीं। यह तथ्य कि वह गर्भवती थीं, केवल चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत दिनांक 16/11/1990 को ही सामने आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) रामीन बाई (अ°सा°–1) और मीलापा बाई (अ°सा°–2) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि दिनांक 19/20–11–1990 की मध्य रात्रि में अपीलकर्ता मृतक को अपने घर सोने के लिए बुलाकर ले गया। मीलापा बाई (अ°सा°–2) ने आगे कहा कि अगली सुबह वह मृतक भगेला को कार्य पर चलने के लिए जगाने अपीलकर्ता के घर गई। अपीलकर्ता ने कहा कि भगेला दूसरे कमरे में सो रहा है। जब उसने वह कमरा खोला, तो मृतक भगेला का शव खून से लथपथ, गर्दन पर कटे हुए घाव के साथ वहाँ पड़ा मिला। उसने चिल्लाना प्रारंभ किया, जिससे लोग इकट्ठा हुए और उसने उन्हें घटना के बारे में बताया। रामीन बाई (अ°सा°–1) ने भी कहा कि मीलापा बाई रोते–बिलखते आई और बताया कि भगेला की हत्या कर दी गई है।

13) दोनों गवाहों के कथनों में कोई दोष या त्रुटि नहीं पाई गई है और उनके साक्ष्य का खंडन करने हेतु कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह भी प्रमाणित हुआ कि दिनांक 19–

20/11/1990 की मध्य रात्रि में अपीलकर्ता मृतक भगेला को अपने घर ले गया और अगली सुबह अपीलकर्ता के घर के भीतर भगेला का शव पाया गया।

14) नन्हीं सिंह (अ°सा°–6) और वीरेन्द्र सिंह (अ°सा°–11) के साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ कि अपीलकर्ता ने यह जानकारी दी कि उसने कुल्हाड़ी को कुएँ में और चाकू को तालाब में फेंका है; और उसकी निशानदेही पर कुल्हाड़ी को जब्ती पत्र प्र.क्र. पी/8 के अनुसार तथा चाकू को प्र.क्र. पी/9 के अनुसार जब्त किया गया। जे.एस. भोरिया (अ°सा°–12) और डॉक्टर अभिजीत सेन (अ°सा°–9) के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि जब्त कुल्हाड़ी और चाकू चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजे गए और परीक्षण के पश्चात् डॉक्टर ने यह राय दी कि मृतक भगेला की चोट संख्या 1 जब्त कुल्हाड़ी से और चोट संख्या 2 जब्त चाकू से कारित हो सकती थी। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद कुल्हाड़ी और चाकू ही वे अपराध में प्रयुक्त हथियार थे, जिनसे भगेला के सिर और गर्दन पर चोटें पहुंचाई गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) इस प्रकरण में यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि अभिलेख में एक और परिस्थिति उपलब्ध थी, किंतु उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया गया। यह परिस्थिति राणा सिंह (अ°सा°–5) के साक्ष्य में प्रकट होती है। उन्होंने अपने कथन में कहा कि उन्होंने भगेला के घर से रोने–चिल्लाने की आवाज़ सुनी, इसलिए वे वहाँ जा रहे थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट देवचरण साहू और शिवचरण साहू से हुई, जिन्होंने बताया कि भगेला की हत्या हो गई है। वहाँ अपीलकर्ता भी मिला, जिसने कहा कि शिवचरण, देवचरण और अन्य उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि उसने ही भगेला की हत्या की है और इस कारण उसे डर है कि उसे मार दिया जाएगा। राणा सिंह (अ°सा°–5) ने आगे कहा कि उन्हें यह आशंका हुई कि अपीलकर्ता की हत्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा हेतु उसे पुलिस थाना पहुँचाया। इस साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई। यदि अपीलकर्ता निर्दोष होता, तो उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर प्राप्त था, किंतु उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया बल्कि सुरक्षा की मांग की।

16) उपर्युक्त सभी परिस्थितियाँ मिलकर एक पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिससे यह स्पष्ट चित्र उभरता है कि अपीलकर्ता की माता चंद्रिका बाई के मृतक के साथ अवैध संबंध थे, जिसके

परिणामस्वरूप वह गर्भवती हुईं और घटना की तिथि से ठीक पूर्व यह उजागर हुआ कि वह 13 सप्ताह की गर्भावस्था में हैं। इसलिए परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान की रक्षा हेतु चंद्रिका बाई ने गाँव छोड़ दिया। दिनांक 19–20/11/1990 की मध्य रात्रि में अपीलकर्ता, जो चंद्रिका बाई का पुत्र है, ने मृतक को अपने घर रात्रि विश्राम हेतु बुलाया तथा मृतक भगेला को अपने घर ले गया और जब भगेला कमरे में सो रहा था, अपीलकर्ता ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर और चाकू से उसकी गर्दन पर प्रहार कर नृशंस रूप से भगेला की हत्या कर दी। अगली सुबह जब उसकी ममेरी बहन मीलापा बाई उसे जगाने आई, तो उसने भगेला का शव अपीलकर्ता के घर के भीतर पाया।

17) विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की समुचित विवेचना करते हुए, अपीलकर्ता द्वारा भगेला की हत्या किए जाने से संबंधित प्रमाणित परिस्थितियों को सही रूप में ग्रहण किया और किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की तथा उसे विधिपूर्वक दोषसिद्ध कर दंडित किया।

18) परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और निरस्त की जाती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपित दोषसिद्धि एवं दंड यथावत् रखे जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता०/–
वी०के० श्रीवास्तव
न्यायाधीश

हस्ता०/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

राजू

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे9 समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shantam Awasthi (Adv.)